

Z

वायुमें,  
दस्तावेज़ गणक,  
लखनऊ।

रोता में,

राधिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-2 रामगढ़ केन्द्र,  
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्र संख्या / सं०शि०नि० / आश०० / ५०२७-३२ / २०१०-११ दिनांक: १७-०८- २०१०

विषय: सूर्या पब्लिक स्कूल, माढरमऊ, गुल्लानपुर रोड, लखनऊ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि उपर्युक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने में आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उप्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता-प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा-विनियमावली बनायी जायेगी और उन्हें सहायता-प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रख जायेंगे।

6

कमश./2

9. जनाइत साचिव संख्या 473/2004 अवगति महानगर प्राति गृहनेवन आक इण्डिया व अन्य में परिवर्त गाँव सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2003 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा, सीठीएस०ड०३०, नई दिल्ली-सो-रामकृष्ण प्राप्त होने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल विल्डिंग कोड में प्राक्षिपित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अनिश्चयन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा रटाफ अनिश्चयन उपायों हेतु भवीताप्ति प्रशिक्षित है।

10. उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- उपर्युक्त प्रतिक्रियाओं का पालन करना संरथा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संरथा द्वारा उपर्युक्त प्रतिक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता वर्ती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।


भवदीय

(प्रशान्त त्रिवेदी)  
आयुक्त  
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या :/ 5027-32 /2009-10 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शिक्षा संविव (माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश, शासन।
2. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
4. निरीक्षक, ऑग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रवन्धक, सूर्या पब्लिक स्कूल, माढरमऊ सुल्तानपुर रोड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

  
(सवि प्रताप वंगी)  
संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
षुष्ठ मण्डल, लखनऊ।